प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 20 फरवरी' 2016 को आयोजित "पटना नगर निगम" के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 20.02.2016 को पटना नगर निगम के कार्यालय में समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में नगर आयुक्त एवं श्री शीर्षत कपिल अशोक, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. <u>समीक्षा बैठक के दौरान निम्नवत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिये गये</u> :–

2.1 पटना नगर निगम के पाँचों कार्य प्रमण्डलों के स्तर पर योजनावार विभिन्न मदों के लिए अलग–अलग खाता संधारित नहीं हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप निधि की उचित लेखा संधारण में कठिनाई होती है। चूँकि वित्त विभाग द्वारा प्रमंडल एवं अंचल स्तर पर खाता संधारण करने का प्रावधान कर दिया गया है। तदनुसार प्रमंडल स्तर पर अलग–अलग योजनावार बैंक खाता संधारित किया जाय।

2.2 <u>राज्य योजना</u> :–

(क) राज्य योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों की अनेकों योजनाओं में कार्यारंभ नहीं हुआ है। निर्देश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता 7 दिनों के अंदर योजनावार विश्लेषण करके यह देखें कि जिन योजनाओं में 2 से अधिक बार टेण्डर हो चुका है और उन योजनाओं को यदि जारी रखना जरूरी हो तो पुनरीक्षण का प्रस्ताव मुख्य अभियंता को समर्पित करें। यदि सरजमींन के अनुरूप जारी रखना जरूरी नहीं हो तो उसे रद्द करने की अनुशंसा करें। मुख्य अभियंता इसका अध्ययन करके 15 दिनों के अंदर समेकित प्रतिवेदन नगर आयुक्त को भेजेंगे।

(ख) जिन योजनाओं को रद्द किया जाएगा, उनकी बची हुई राशि अन्य योजनाओं की देयता के विरूद्ध उपयोग किये जा सकेंगी, किन्तु इसका विशिष्ट प्रतिवेदन भेजकर विभागीय अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(ग) समर्पित किये गये प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि विभाग द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं का हिसाब रखा जा रहा है अथवा नहीं। मुख्य अभियंता, विशेष सचिव से सम्पर्क करके इसका Reconciliation अगले 7 दिनों के अंदर कर लें।

2.3 नगर निगम के मुख्य नगर अभियंता, कार्यपालक अभियंता के समकक्ष स्तर के पदाधिकारी हैं। अतः वे कार्यपालक अभियंता को प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अधीक्षण अभियंता की शक्तियों का प्रयोग मुख्यालय के अभियंता ही करेंगे। तदनुसार समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण को मार्गदर्शित कर दिया गया है, जिसके आलोक में वे अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

2.4 समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की कुछ राशि, जो विभिन्न घटकों के लिए कर्णांकित थी, वह बच गयी है। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि बोर्ड में इस पर विचार करके, अंतर घटक हस्तांतरण की आवश्यकता हो तो हस्तांतरण करके राशि का उपयोग सुनिश्चित करें।

2.5 पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पटना नगर निगम को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले राशि से लगभग डेढ़ से दो गुना राशि मिलने की संभावना है। तदनुसार योजनाओं का चयन करके, प्राक्कलन बनाकर, माह मार्च 2016 तक टेण्डरिंग प्रक्रिया पूर्ण की जाय। एक सामान्य अनुमान के अनुसार प्रत्येक वार्ड में लगभग एक करोड़ रूपये की योजनाएं लिये जाने हेतु संसाधन उपलब्ध हो सकेगी। यह दोहराया गया कि योजनाओं का कार्यान्वयन ई०–टेण्डरिंग के माध्यम से ही किया जाय।

2.6 वर्ष 2014–15 तक की राशि के विरूद्ध पटना नगर निगम द्वारा लगभग 800 योजनाएं ली गयी हैं, जिसकी प्रगति सरजमींन पर प्रतिवेदित हुई है, लेकिन व्यय कम हुआ है। यह अपेक्षा की गयी कि **इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 80 प्रतिशत** राशि व्यय हो जानी चाहिए।

2.7 सभी कार्यपालक अभियंता, संवदकों एवं अधीनस्थ अभियंताओं के साथ पाक्षिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करेंगे। मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता के साथ पाक्षिक समीक्षा अवश्य करें। नगर आयुक्त के स्तर पर भी समय–समय पर समीक्षा की जाय ताकि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग आदि में बची हुई राशि का सदुपयोग हो सके।

2.8 **<u>गुणवत्ता जाँच</u>** :–

प्रत्येक योजना की गुणवत्ता जाँच PWD Code के अनुसार होनी चाहिए। यह बताया गया कि अभी मात्र पथ निर्माण विभाग के प्रयोगशाला द्वारा गुणवत्ता जाँच की जा रही है, जिसमें समय लगता है। **<u>सहमति दी गयी कि सरकार के अन्य विभागों यथा ग्रामीण कार्य विभाग आदि के प्रयोगशालाओं में निर्धारित दरों पर गुणवत्ता जाँच करायी जा सकती है</u>**।

2.9 **<u>MIS की व्यवस्था</u>** :–

निर्देश दिया गया कि जिस प्रकार अन्य विभागों यथा ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा IT enabled MIS विकसित किया गया है, जिसमें हर योजना की ऑनलाईन मानिटरिंग एवं योजनाओं का फोटो अपलोड करने की व्यवस्था है, उसके अनुसार पटना नगर निगम स्तर पर IT enabled MIS विकसित किया जाय। यह व्यवस्था माह अप्रैल, 2016 से चालू हो जानी चाहिए।

2.10 मेनहोल एवं कैचपिट के निर्माण एवं मरम्मति की समीक्षा की गयी। नगर निगम के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। वैसी स्थिति में कोई भी मेनहोल या कैचपिट एक भी दिन क्षतिग्रस्त नहीं रहनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो। इसके लिए कार्य प्रमंडल के स्तर पर

राशि सुरक्षित रखी जाय, जिसका Revolving fund के रूप में उपयोग किया जाय। बोर्ड के स्तर पर निर्णय लेकर उचित व्यवस्था शीघ्र कर ली जाय।

2.11 14वें वित्त आयोग की इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि में से 25.00 करोड़ रूपये उपलब्ध है। इस राशि में 10 प्रकार के कार्य समाहित हैं। पटना शहर में लाईट की प्रचुर उपलब्धता के लिए सभी 72 वार्डों में औसतन 150 एल०ई०डी० लाईट प्रति वार्ड की दर से लगाने हेतु योजना बनायी जा सकती है। उचित निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए, पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी से समन्वय करके, एल०ई०डी० लाईट बरसात से पूर्व लगाया जाय।

2.12 वर्ष 2016–17 की 14वें वित्त आयोग की लगभग डेढ़ गुनी राशि प्राप्त होगी। इसके लिए अग्रिम कार्य योजना माह मार्च, 2016 के अंदर बना ली जाय।

2.13 <u>केन्द्र प्रायोजित योजनाएं</u> :–

(क) SBM, HFA एवं NULM का प्रबंधन/कार्यान्वयन पटना नगर निगम मुख्यालय स्तर पर संतोषजनक नहीं हो पा रहा है। **<u>अतः इन योजनाओं का अंचल स्तर से प्रबंधन किया जाय। तदनुसार चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों के स्तर पर सभी योजनाओं के लिए अलग–अलग खाता खोल दिया जाय, जिसमें लक्ष्यानुसार राशि हस्तांतरित कर दी जाय। वार्डों की संख्या के अनुपात में सामान्यतः लक्ष्य उपावंटित कर दिया जाय</u>**।

(ख) कार्यपालक पदाधिकारियों को योजना के अनुरूप अनुमान्य अतिरिक्त मानव बल उपलब्ध कराया जाय। नगर निगम मुख्यालय स्तर से कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन को गति मिल सके। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। अपेक्षा की गयी कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों के माध्यम से तीव्र गति से कार्यान्वयन कराएं ताकि सभी कार्यक्रमों में पटना नगर निगम में लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन में 22000 से अधिक वैयक्तिक शौचालय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनकी प्रगति बहुत ही निराशाजनक है।

(घ) राजीव आवास योजना के अंतर्गत पटना में फेज–1 एवं फेज–2 में लगभग 1800 घरों का निर्माण किया जाना है, जिसमें अभी तक प्रगति नहीं हो पायी है।

(ड़) सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत लगभग 2000 घरों का निर्माण होना है, लेकिन अभी तक मात्र 500 लाभान्वितों का चयन किया गया है, जो अत्यंत ही निराशाजनक है।

2.14 <u>सार्वजनिक शौचालय/सामुदायिक शौचालय</u> :–

(क) पटना नगर निगम द्वारा सभी अंचलों में लगभग 30 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की योजना बनायी गयी है, जिसमें लगभग 10.00 लाख रूपये प्रति ईकाई

का मॉडल है। इसमें 40 प्रतिशत राशि स्वच्छ भारत मिशन से एवं शेष राशि पटना नगर निगम की निधि से व्यय होना है। इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

(ख) उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल में कराये गये सर्वेक्षण में पटना शहर की कम रैंकिंग का कारण शौचालय की कमी रही है।

(ग) भू–संपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे एक महीने के अंदर पटना नगर निगम की सम्पूर्ण भूमि का स्पष्ट लेखा–जोखा तैयार करें।

(घ) कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे कार्यपालक अभियंता के साथ साउथ लोहानीपुर, कंकड़बाग जीरो प्वाइंट, सरीफागंज एवं कौशल नगर स्लम क्षेत्रों का भ्रमण करके in situ slum development की योजना का प्रारूप गठित करें।

2.15 <u>डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण</u> :–

(क) नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण हेतु सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करके निविदा की प्रक्रिया की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। निर्देश दिया गया कि इसे शीघ्र आगे बढ़ाया जाय।

(ख) पटना में अवस्थित पुराने 18 रैन बसेरा खराब हालत में है। इस पर मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा बैठकों में सुधार का निर्देश प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2016 तक सभी रैन बसेरा उचित तरीके से संचालित हो, इसे सुनिश्चित किया जाय।

(ग) प्रत्येक अंचल क्षेत्र में कम से कम एक–एक नए रैन बसेरा बनाने हेतु भूमि चिन्हित की जाय।

2.16 <u>भवन नक्सा का अनुमोदन</u> :–

भवनों के नक्से पास होने के कार्य में बहुत अधिक समय लग रहा है। इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी। **<u>नगर आयुक्त से अपेक्षा की गयी कि वे प्रक्रियात्मक सुधार करने पर विचार करें ताकि जो बहुत अधिक स्तरीय समीक्षा है, उसमें कम स्तर हो। यह अपेक्षा की गयी कि इस काम में तेजी लायी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि हर मंगलवार स्वीकृति समिति की बैठक हो, जिसमें आवेदक या उनके प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाय।</u>**

3. नगर आयुक्त द्वारा इस हेतु पदाधिकारियों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। इसके लिए विभाग स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

4. नगर निगम द्वारा अभी विकसित की गयी 'अपना पटना' Apps की समीक्षा की गयी। इसकी साप्ताहिक समीक्षा नगर आयुक्त के स्तर पर की जाय। निर्देश दिया गया कि कर्मियों का वेतन भुगतान माह अप्रैल, 2016 से बायामिट्रिक्स उपस्थिति के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकार के 7 निश्चय "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना एवं "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" की समीक्षा की गयी। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इसकी कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाय। इस संबंध में अगली बैठक में गहन समीक्षा की जाएगी।

6. आगामी मॉनसून के मद्देनजर नाला की उड़ाही सुनिश्चित की जाय। इसके लिए समुचित धनराशि नगर निगम के पास उपलब्ध है।

7. पटना नगर निगम में किसी एक पदाधिकारी को PRO के रूप में नामित किया जाय ताकि वे सभी सूचनाओं को मिडिया को दे सकें।

8. अगली बैठक माह के तीसरे सोमवार को अप० 04:00 बजे होगी, तब तक इन सभी बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित हो जानी चाहिए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

24.2.16

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–1252 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 24/2/16

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल/बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.16
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1252 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 24/2/16

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/श्री उपेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.2.16
प्रधान सचिव